अपील सूचना अधिकार संख्या 96/2021 (GCMS 2021/00152) शिवचन्द शर्मा 6/59 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जेल के पीछे, हनुमानगढ जंक्शन (राज.) पिन– 335512 (मो.नं. 94134–32378) बनाम अति.जिला कलक्टर, (प्रशासन), श्रीगंगानगर

10.11.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री शिवचन्द शर्मा स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2021 से अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगनर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है और निवेदन किया कि उसने आदेश की फोटो प्रति कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई थी फिर भी उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। उनका आगे कथन है कि उसने सूचना का अधिकार के तहत ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया था, जो उनके द्वारा ऑफ लाईन कर दिया और प्रार्थी का पता एवं पिनकोड गलत लिखकर जानबूझकर देरी करने का प्रयास किया है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.09.2021 को पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें **पत्रावली का अवलोकन** किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2021 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:

> सहायक कलक्टर जागीरदारी एवं विश्वेदारी का पत्र क्रमांक 1956 दिनांक 16[illegible]96[illegible] श्रीगंगानगर रिकार्ड की प्रमाणित प्र[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:40 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर, श्री[illegible]नगर ने अपने सम/[illegible] दिनांक 23.07.2021 से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को एवं उपखण्ड अधिकारी,

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2021/111 दिनांक 26.07.2021 से प्रभारी अधिकारी (जिला अभिलेखागार), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को भिजवाया है और प्रभारी अधिकारी (जिला अभिलेखागार), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रिकॉर्ड शाखा/2021/47 दिनांक 24.08.2201 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना में आप द्वारा पत्र क्रमांक 1956 दिनांक 16.07.1962 की प्रमाणित प्रति चाही गई है। परन्तु आप द्वारा उक्त पत्र का सबंध किस पत्रावली से है, का अंकन नही किया गया है अतः पत्रावली से संबन्धित समस्त प्रवष्टिया अथवा पत्रावली संख्या, अनवान, निर्णय दिनांक आदि सूचना उपलब्ध करावें ताकि पत्रावली की तलाश कर आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब प्रभारी अधिकारी(जिला अभिलेखागार), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 24.08.2021 को उक्तानुसार दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं **कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना [illegible] से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में [illegible] जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए तहसीलदार (भू.अ.), श्रबिजयनगर ने अपीलार्थी को जो उत्तर दिया है, **वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं** फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनओं को देखते हुए प्रभारी अधिकारी (जिला अभिलेखागार), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि **अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उपलब्ध करवाये गये निर्णय की प्रति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और निर्णय की प्रति यदि पत्रावली संख्या आदि का अंकन उपलब्ध हो जाए तो अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी (जिला अभिलेखागार), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:27:40 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर